15/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त है, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7-5-25 को पेश हो।

GCMS – 2024/617

07/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती है। वकील प्रार्थी की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी की गलत जाति ''जोगी'' दर्ज हैं जबकि प्रार्थी की जाति ''जोगी'' की जगह ''जोतगी'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबंदी संवत 2057–60 के खाता संख्या 83 में ख0नं0 909, 910 एवं खाता संख्या 84 में ख0नं0 853 में खातेदार की जाति जोतगी दर्ज थी जबकि उक्त खसरा नम्बरान के नए ख0नं0 13, 89 व 90 में खातेदार की जाति जोतगी की जगह मिसल से लेकर वर्तमान जमाबंदी तक खातेदारों की जाति जोगी दर्ज चली आ रही हैं। जिस कारण ग्राम मावण्डा कलां के ख0नं0 13, 89, 90 में खातेदारों की जाति जोगी के स्थान पर जोतगी शुद्व किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 भू.रा.अधि. स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer S Yadav
Date: 2025.06.03 11:14:48 IS
Reason: SelfAttested

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम मावण्डाकला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 13, 89, 90 में प्रार्थी के दादा नन्दाराम पुत्र डूंगाराम की गलत दर्ज जाति ''जोगी'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति ''जोतगी'' दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.06.03 11:14:48 IST Reason: SelfAttested	